राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बीदासर

प्रकरण संख्या 78/2018 दायरा दिनांक 16-08-2018

पीठासीन अधिकारी
श्री ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

राजस्थान सरकार बनाम पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी

प्रार्थी..................

बनाम

फरसाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट नि. मालासर

अप्रार्थी..............

<u>निर्णय</u> दिनांक 05.09.2018

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है, पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी फरसाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट नि. मालासर ने रोही ग्राम मालासर के खसरा नं. 302 किस्म गै. मु. टाडा रकबा 2.08 बीघा भूमि में से 0.01 बीघा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नीयत तारीख पेशी दिनांक 30.08.2018 को अनुपस्थित । पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नकल एक्स, जमाबन्दी व पी 14 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी फरसाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट नि. मालासर ने रोही ग्राम मालासर के खसरा नं. 302 किस्म गै. मु. टाडा रकबा 2.08 बीघा भुमि में से 0.01 बीघा भूमि पर नाजायज अतिकमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है और भू0अ0 निरीक्षक कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमियों को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी पटवार हल्का कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थी से शरह पड़ता लगान ग्राम मालासर 00.50 रू प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिकमित भूमि 0.01 बीघा की राशि 05/– पॉच रूपये वूसल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनशिचित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
बीदासर (चूरू)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीदासर जिला चूरू (राज.)

उक्त मांग कायमी रा. ले. 43 पृ. सं. 3 पर कर ली गई है।

तहसील राजस्व लेखाकार